

सं. नं. 101/2023 सुशील - सुमन देवी आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र
22.2.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिग्राहक सीमा में प्रमाण संबंधित कार्य स्विकृत रखा। पत्रावली पूर्व अनुसंधान दिनांक 15.5.24 को पेश है।
15.5.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सारे इज्जत सुनाया गया। प्रकरण फैसल सुमार होकर नंबर से कम होकर दाखल तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। मुख्य अधिकारी एवं पदेन राज्य अपील अधिकारी सीकर